डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2026/12062 **दिनांक:** 19 सितम्बर, 2026

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,
R L INSTITUTE OF PHARMACY, VARANASI(1323)

विषयः शैक्षिक सत्र 2026–27 से 2028–2029 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सक्षम स्तर के अनुमोदन के क्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 1/1129089/2025/16–1099/21/2025 दिनांक 31.10.2025 के प्रावधान तथा फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2026 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों, पर निर्गत शासनादेश संख्या 1615/2026/16–1099/82/2024(पार्ट–3) दिनांक 15.09.2026 एवं 1636/2026/16–1099/82/2024(पार्ट–3) दिनांक 17 सितम्बर 2026 के अनुमोदन, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष (शैक्षिक सत्र 2026–27 से 2028–29) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake by PCI	Intake Approved for Affiliation
Bachelor of Pharmacy	Bachelor of Pharmacy	60	60	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः–

1. संस्थान को विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष सम्बद्धता विस्तारण आवेदन व सम्बद्धता शुल्क के साथ फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से निर्गत एप्रूवल लेटर अपलोड करना होगा।

2. उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन पद्धति के मानदण्डों के सत्यापन हेतु संस्थान का यथावश्यक औचक निरीक्षण कराया जा सकता है तथा यदि संस्थान को मापदण्डों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो विश्वविद्यालय/शासन द्वारा संस्थान की सम्बद्धता अवधि कम करने/सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3.नए विषय में सम्बद्धता हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक सम्बद्धता तथा पूर्ववर्ती सम्बद्धता की शर्ते पूरी तरह से पूर्ण की गयी है। (विनियमः 6.11)

4. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश एंव अनुशासन के लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेगा। (विनियमः 6.12)

5. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने उपस्करों तथा उपकरणों के साथ अपने भवनों, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं और सेवाओं जैसे कि इसके अध्यापन कार्य करने वाले और दूसरे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा। (विनियमः 6.13)

6. जब तक किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के प्रचार्य/निदेशक का पद रिक्त होता है तो प्रबंधतत्रं किसी भी अध्यापक को तीन माह की अवधि अथवा किसी नियमित प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति तक जो कि पूर्वतर हो, प्राचार्य और निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन माह की अवधि की समाप्ति तक अथवा पूर्ण में ही कोई नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है या इस प्रकार का कोई प्राचार्य पद को धारण नहीं करता है तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक इस प्रकार के महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कोई नियमित प्राचार्य/निदेशक नहीं नियुक्त हो जाता है। (विनियमः 6.15)

7. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए आवश्यक रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा और समय–समय पर विश्वविद्यालय की विवरणी उस रूप में जैसा कि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक हो उपस्कृत करेगा। (विनियमः 6.16क)

8. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए अपनी वेबसाइट का अनुरक्षण करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रारूप पर महाविद्यालय से सम्बन्धित तथ्यों की प्रविष्टि करना आवश्यक होगा। (विनियमः 6.16ख)

9. जहाँ कार्य परिषद अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करवाना चाहते है, वहाँ महाविद्यालय ऐसे निरीक्षण के परिणामों को उस पर अपने विचारों के साथ संसूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र को निर्देशित कर सकता है। (विनियमः 6.17क)

10. जहाँ सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्यपरिषद के समाधानप्रद कार्यवाही नहीं करता है, वहाँ वह प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा दिये गये अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे और प्रबन्धतत्रं ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर कार्यकारी परिषद विनियम 6.28 के अधीन उसके अनुसार कार्यवाही कर सकता है। (विनियमः 6.17ख)

11. महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के कर्मचारी के सभी पद जो स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रिक्त हो जाते हैं, से सम्बन्धित सूचनायें उसके रिक्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय को संसूचित कर दी जायेगी। (विनियमः 6.18)

12. फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना एक सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी कक्षा अथवा अनुभाग में छात्रों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक नही होगी। (विनियमः 6.19)

13. कार्यकारी परिषद सम्बद्ध महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष के प्रवेश को एक संख्या तक, जो वह किसी भी शैक्षिक वर्ष में महाविद्यालय द्वारा की गयी गलतियों के लिए शक्ति के तौर पर समझता है, घटा सकता है अथवा महाविद्यालय को आर्थिक रूप से भी दण्डित किया जा सकता है। (विनियमः 6.20)

14. सम्बद्धता की निरन्तरता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की निरन्तर उपलब्धि पर निर्भर करेगी। (विनियमः 6.21)

15. यदि कोई महाविद्यालय लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी भेजने में असफल होता हे तो उसकी सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी। (विनियमः 6.22)

16. कार्यपरिषद किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश न लेने के लिए निर्देशित कर सकती है, यदि कार्यपरिषद की राय में सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की अवहेलना की गई हो फिर भी यदि कार्य परिषद के समाधानप्रद रूप में शर्ते पूरी कर दी जाती है तो कार्यपरिषद की पूर्व अनुमति से कक्षाये पुनः प्रारम्भ की जा सकती है। (विनियमः 6.23)

17. यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की अवहेलना करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करें तो कार्यपरिषद कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए सम्बद्धता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्यपरिषद के समाधानप्नद रूप में शर्ते पूरी न कर ली जाय। (विनियमः 6.24)

18. यदि सम्बद्ध महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्देशों का पालन करने या मान्यता की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है अथवा भारी कुप्रबन्ध के कारण से कार्यपरिषद की राय में महाविद्यालय को इस तरह की सम्बद्धता से वंचित कर दिया जाय, तो कार्यकारी परिषद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को किसी विषय की उपाधि के लिए मान्यता के विशेषाधिकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से वंचित कर सकती है। (विनियमः 6.25क)

19. यदि स्टॉफ के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो, जिसके लिए वे विनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे और महाविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथा अपेक्षित कार्यवाही न करे तो सम्बद्ध महाविद्यालय की मान्यता इस विनियम के अन्तर्गत सम्बद्धता वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा। (विनियमः 6.25ख)

20. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूबनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

21. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय–6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

22. फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

23. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थानों की फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय

स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानो की सम्बद्धता, तदृकार्यवाही के अधीन होगी।

24. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियो/अनु० जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

25. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशो /आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

26. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। शासन द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।

27. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा।

28. संस्थान द्वारा नियामक संगठन फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया से निर्गत एप्रूवल लेटर जो विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किया गया है, यदि कूटरचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में तत्काल प्रभाव से संस्थान की सम्बद्धता निरस्त समझी जायेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

29. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 6.09 के प्राविधान के अनुसार प्रथम सम्बद्धता के परिप्रेक्ष्य मं इस पत्र के निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय के स्टेट बैक ऑफ इण्डिया, लखनऊ में स्थित वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, के खाता संख्या 40018270038 IFSC Code SBIN0018957 में आनलाईन के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा बी0फार्म0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित संदान निधि रू0 300000/– (रू0 तीन लाख मात्र) जमा कराना सुनिश्चित करें। संदान निधि निर्धारित तक जमा न करने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त हो जायेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, जनभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू० लखनऊ।
6. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

उप कुलसचिव